बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सं0सं09 / कोर्ट–10–13 / 2013

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना सं0 895(9) दिनांक 30.9.2014 द्वारा डा0 सतीशचन्द्र दास प्रभारी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी भागलपुर के संबंध में सिविल रिब्यू सं0 206 / 2013 में दिनांक 11.9.13 को पारित न्यायादेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया था :–

1. विभागीय अधिसूचना सं0 509(9) दिनांक 25.4.13 को निरस्त करते हुए डा0 सतीशचन्द्र दास को निलंबन मुक्त किया गया था, वे निलंबन से पूर्व के पदस्थापन स्थान पर योगदान करने का आदेश दिया गया।

2. विभागीय संकल्प सं0 513(9) दिनांक 26.4.13 द्वारा डा0 सतीशचन्द्र दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में आगे की कार्यवाही बंद कर दी गई।

तदालोक में डा0 सतीशचन्द्र दास, प्रभारी जिला कुष्ठ उन्मूलन पदाधिकारी, भागलपुर के निलंबन अवधि दिनांक 25.4.2013 से दिनांक 9.10.14 तक कि अवधि को कार्यवधि मानते हुए निलंबन अवधि के दौरान प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए उनके वेतन आदि भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

अतः डा0 सतीश चन्द्र दास, प्रभारी जिला कुष्ठ उन्मूलन पदाधिकारी, भागलपुर को निलंबन अवधि दिनांक 25.4.2013 से दिनांक 9.10.14 तक को कार्य अवधि मानते हुए निलंबन अवधि के दौरान प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए उनके वेतन आदि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 568(9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 2/7/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी भागलपूर / पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल भागलपुर / पूर्णियां / सिविल सर्जन भागलपूर / पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 सतीशचन्द्र दास प्रभारी जिला कुष्ठ उन्मूलन पदाधिकारी भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना / के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30.6.15

सरकार के अवर सचिव